भारत सरकार

आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 936

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम

936. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री छत्रपाल सिंह गंगवार:
श्री दर्शन सिंह चौधरी:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री मनीष जायसवाल:
श्री राधेश्याम राठिया:
श्री भोजराज नाग:
श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री सतीश कुमार गौतम:
डॉ. प्रशांत यादवराव पडोले:
श्री जुगल किशोर:
श्री प्रवीण पटेल:
श्री रविन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:
श्री बिभु प्रसाद तराई:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के माध्यम से सेवा में उत्कृष्टता के आचार को संस्थागत बनाने के लिए कौन-सी योजनाएं/योजनाएं प्रस्तावित हैं;

(ख) आयुष क्षेत्र में मिशन कर्मयोगी के दायरे का विस्तार करने के लिए कौन-सी योजनाएं/योजनाएं प्रस्तावित हैं;

(ग) पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में कार्यबल की क्षमता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या उक्त मिशन के लिए आवंटित निधि/बजट और संसाधनों का उचित तरीके से उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): जहां तक आयुष मंत्रालय का संबंध है, आयुष मंत्रालय में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के माध्यम से आयुष क्षेत्र में सेवा उत्कृष्टता को संस्थागत बनाने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है। हांलाकि, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के

माध्यम से सेवा उत्कृष्टता को संस्थागत बनाने की कोई योजना नहीं है। आयुष मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का कार्यान्वयन करता है। इसके अतिरिक्त, सीबीसी के निर्देशों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने मंत्रालय के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए चार लघु प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। ये सत्र सेवा भाव और जवाबदेही को बढ़ावा देने पर केंद्रित थे। कार्यक्रम में चिंतनशील चर्चाओं, टीम वर्क और सहयोगात्मक समस्या समाधान को प्रोत्साहित किया गया। प्रतिभागियों ने कर्मयोगी दृष्टिकोण के लाभों और जवाबदेही एवं जिम्मेदारी के साथ सेवा का दृष्टिकोण विकसित करने के संबंध में अपने विचार साझा किए।

(ग): आयुष मंत्रालय द्वारा पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र के कार्यबल की क्षमता और जवाबदेही के सुदृढ़ीकरण के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

• आयुष मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एनसीआईएसएम), राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (एनसीएच) और अनुसंधान परिषदों/अनुसंधान संस्थानों ने देश में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए।

• एनसीआईएसएम ने राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य एनसीआईएसएम के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा रिग्पा महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के लिए आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से क्षमता संवर्धन करना तथा प्रधानाचार्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुदृढ़ करना है।

• एनसीएच ने तकनीकी प्रगति के साथ-साथ नियमित अपडेशन के साथ आधुनिक समझ के अनुरूप शिक्षण संकायों की दक्षताओं और कौशल को बढ़ाने की परिकल्पना की है।

• आयुष मंत्रालय वर्ष 2021-22 से आयुर्ज्ञान नामक एक केंद्रीय क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें 'आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा' का एक घटक है, जो आयुष कर्मियों को आवश्यकता-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने और ज्ञान अंतराल को पाटने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयुष के क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए देश भर के पात्र संगठनों की सहायता करता है।

• भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम एंड एच) आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी औषधि नियामक प्राधिकरणों, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों, औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं (औषधि विश्लेषकों) और अन्य हितधारकों को आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथिक दवाओं की गुणवत्ता का पता लगाने/विश्लेषण करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रयोगशाला तकनीकों और विधियों पर क्षमता निर्माण प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

• आयुष मंत्रालय ने एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना, आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना (एओजीयूएसवाई) को पाँच वर्षों के लिए 122.00 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ कार्यान्वित की है। इस योजना में "आयुष औषधियों के लिए तकनीकी मानव संसाधन और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों सहित केंद्रीय और राज्य आयुष औषधि नियामक ढाँचों को सुदृढ़ बनाने हेतु परिचालन दिशानिर्देश" शामिल हैं।

(घ): आयुष मंत्रालय से उक्त मिशन के लिए कोई निधि/बजट आवंटित नहीं किया गया है।

****